कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014 / बांरा रोडस / एफसीए / प्रमुवसं / 3162 दिनांक 3/11/2020

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 1.14 ha. of forest land in favour of PWD for construction of BT road from Mamli Lakshmipura to Patpadi Under RRSMP scheme in Rajasthan.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र क्रमांक 8बी / राज / 06 / 24 / 2015 / एफसी / 898 दिनांक 14.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्र 5173 दिनांक 22.10.2020 से प्राप्त हुयी है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	EDS	Reply
1.	State Government should submit valid reasons and exeptional circumstances apt to justity delay and condonation of violation.	यूजर एजेन्सी द्वारा कार्य के स्कोप में तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था सड़क चैनेज 0 / 810 से 1 / 950 तक वनक्षेत्र में होने के कारण दिनांक 13.09.2014 को 1.14 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किये गये थे। सड़क के वनभूमि वाले भाग को छोड़कर शेष कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया था। मामली से लक्ष्मीपुरा पटपडी का एक मात्र मार्ग होने के कारण बारिश के मौसम में ग्रामवासियों का संपर्क व आवागमन का मार्ग अवरूद्ध हो गया था जिससे इमरजेन्सी सेवाओं तथा एम्बुलेन्स सेवा प्रसूताओं हेतु इलाज इत्यादि के लिये मार्ग अवरूद्ध था अतः ग्रामवासियों की सुविधाओं ओर जनहित को ध्यान में रख कर वनक्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर उक्त मार्ग का निर्माण दिनांक 12.12.2015 को पूर्ण करा दिया गया था इस प्रकार उक्त कार्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 बी के अन्तर्गत उल्लंघन हुआ हैं। अतः ग्रामवासियों की सुविधाओं ओर जनहित को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र में कार्य किया गया हैं।

......P.T.O.

2.	The penalty for violation shall be calculated as per the guidelines dated 29.01.2018 and report submitted to this office.	बिन्दु संख्या–2 के तहत Violation Penalty की गणना उक्त प्रकरण के प्रत्यावर्तन में (आर.ई.सी. के अनुसार) लगाई गई शर्त में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक) प्रावधान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ के सरकुलर दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 9432 दिनांक 15.10.2020 द्वारा दण्डात्मक राशि 3710928/– गणना की गई हैं। चूंकि उक्त प्रस्ताव मामली लक्ष्मीपुरा से पटपड़ी रोड़ जन उपयोगी प्रस्ताव हैं। अतः गणना का 20 प्रतिशत अधिरोपी शास्ती 742185/– देय होगी।

अतः उक्तानुसार पालना मय प्राप्त पत्रादि की छायाप्रतियों सहित (दो सैट) इस कार्यालय की सहमति के साथ प्रेषित हैं। कृपया एक मूल सैट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बांरा रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः– उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर